

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा जिला बारा राज

क्रमांक

197/25

दि. 27.9.25

- :: निर्णय :: -

प्रार्थी श्री गिरिजी उलाड पुत्र, पुत्री, पति शमरान ने प्रार्थन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम खापर पटवार मण्डल खरड जिला बारा की चालू जमाबंदी सम्वत् 2076-79 के खाता संख्या 52 में खातेदार, गैरखातेदार का नाम/जाति चमट अंकित है जो सम्मानजनक नहीं है। जिसे सम्मानजनक रूप से अंकित किया जावे। प्रार्थी के आवेदन पत्र की जांच पटवारी चमट से करवाने पर पटवारी ने चमट के बजाय चमट करना उचित बताया। तहसीलदार छबड़ा ने भी उक्त खाते में चमट के बजाय चमट करना उचित बताया।

अतः पटवारी एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1958 एवं नियम 369 राजस्थान भूराजस्व (अभिलेख) नियम 1957 के अन्तर्गत ग्राम खापर के खाता संख्या 52 में खातेदार/गैरखातेदार का नाम/जाति चमट के स्थान पर सम्मानजनक रूप से चमट दर्ज करन का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार छबड़ा तदनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती करें।


 उपखण्ड अधिकारी
 (Land Record Officer)
 छबड़ा जिला बारा